समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 26 August 2026

तेलंगाना के DSP पर 300 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का आरोप, ACB ने किया गिरफ्तार

Sanket Morankar Published on 07 Jul 2026

तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए **एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB)** ने पुलिस विभाग के **डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) संकिरेड्डी भीम रेड्डी** को आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी का आरोप है कि अधिकारी ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अवैध तरीकों से अर्जित की।

एसीबी के अनुसार, संकिरेड्डी भीम रेड्डी वर्तमान में **पुलिस कंप्यूटर सर्विसेज (PCS), हैदराबाद** में तैनात थे। सोमवार शाम लगभग 7:40 बजे उन्हें हैदराबाद के इब्राहिमबाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एसीबी की विशेष अदालत में पेश किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई।

इस कार्रवाई से पहले एसीबी ने 2 जुलाई को तेलंगाना और कर्नाटक में कुल **16 स्थानों** पर एक साथ छापेमारी की थी। ये स्थान आरोपी अधिकारी, उनके परिजनों, सहयोगियों और कथित बेनामी व्यक्तियों से जुड़े बताए गए हैं।

जांच के दौरान एसीबी को बड़ी मात्रा में अचल और चल संपत्तियों की जानकारी मिली। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी और उससे जुड़े लोगों के नाम पर हैदराबाद में कई आलीशान मकान, फ्लैट, व्यावसायिक परिसर, खुले प्लॉट, तेलंगाना और कर्नाटक में कृषि भूमि तथा विभिन्न निवेश मिले हैं। प्रारंभिक आकलन में इन संपत्तियों का मूल्य **करीब 300 करोड़ रुपये** बताया जा रहा है। हालांकि, अंतिम मूल्यांकन जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

छापेमारी के दौरान एसीबी ने लगभग **43.60 लाख रुपये नकद**, करीब **2 किलोग्राम सोने के आभूषण**, लगभग **20 किलोग्राम चांदी**, बैंक खातों में करीब **19.91 लाख रुपये** की राशि तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

जांच में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य आरोपी अधिकारी की एक **हस्तलिखित डायरी** भी बताई जा रही है। एसीबी के अनुसार, यह डायरी

कथित तौर पर मई महीने में चारधाम यात्रा पर जाने से पहले लिखी गई थी। इसमें संपत्तियों, निवेश, देनदारियों और कथित बेनामी व्यक्तियों का विवरण दर्ज होने का दावा किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसी डायरी के आधार पर कई संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन तक पहुंचने में मदद मिली।

एसीबी के मुताबिक, डायरी की स्कैन कॉपी आरोपी ने यात्रा से पहले अपने दोनों बेटों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी थी। अधिकारियों का मानना है कि यह दस्तावेज आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच में अहम साक्ष्य साबित हो सकता है।

फिलहाल एसीबी पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी संपत्तियों, बैंक लेन-देन और वित्तीय निवेश की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नोट : आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए हैं। मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायालय की सुनवाई और जांच पूरी होने के बाद ही तय होगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.